

**कार्यालय,  
प्रतिष्ठित प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
नागौर प्रदेश राजस्थान।**

आदेश - डायरी/परिषद सम्बद्धता/2019/1142

संलग्नक दिनांक: 16-8-2019

**-कार्यालय आदेश-**

प्रतिष्ठित प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक कार 2019-20 हेतु द्वितीय पाठी (अक्षरी) शिक्षण संस्थाओं को अनुसंधान प्रदान किये जाने से सम्बन्धित प्राथमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान राज्य/सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को संलग्न प्राथमिक शिक्षा परिषद राजस्थान राज्य/सम्बद्धता में परिषद कार्यालय में भेजा गयेन। इसमें से सब 2019-20 हेतु आवेदन एवं अनुसंधानों को सम्बद्धता/पूरी से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/अनुसंधान/प्रवेश कराया गया। सभी हेतु सब 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

उनके जो अनुसंधान से सम्बद्धता संबंधित जो प्रस्ताव की सं-4 में द्वितीय पाठी में द्वितीय पाठी यातव्यता संघर्षिता करने वाली किसी भीविधि संस्था का प्रस्ताव प्राप्त गया। सम्बद्धता संबंधित प्रदान करने विचार-विमर्श के विषय निर्णय किया गया -

**-संलग्नक-3 में उल्लिखित निजी क्षेत्र में स्थित डिप्टी शरीय संस्थाएं, जिन्हें द्वितीय पाठी में द्वितीय पाठ्यक्रम संवाहन हेतु एचआईएलसीटीआईईए द्वारा सब 2019-20 हेतु अनुसंधान विस्तार प्रदान किया गया है, और संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध हैं, के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं सब 2019-20 हेतु द्वितीय पाठी में द्वितीय पाठ्यक्रमों के संवाहन हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।-**

उन विचार-विमर्श संबंधित संस्था को परिषद की विधिक समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा जो गरी सम्मूहों तथा सम्बद्धता संबंधित प्रदान किये जाने निर्णय के अन्तर्गत एन प्राथमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान द्वारा सब 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत यातव्यता एवं प्रवेश संबंधित प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	यातव्यता का नाम	एचआईएलसीटीआईईए/वीएसीआई द्वारा सब 2019-20 में अनुसंधान प्रवेश प्रदान	परिषद द्वारा सब 2019-20 में अनुसंधान प्रवेश प्रदान
1.	6667	कार्यवाही निम्न प्रकार की संस्थाएं, जिनकी सं-2, सं-3	निम्न प्रकार की संस्थाएं	००	००
			कार्यवाही प्रदान किया	००	००

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एचआईएलसीटीआईईए द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था प्रदान प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं 6667 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद (विद्यमान) 6667 तथा अन्य निर्मित निर्मित एवं आवेदन को अनुसंधान करेगी तथा सुलभ निर्धारण संबंधित प्रदान निर्मित सुलभ की संस्था द्वारा यातव्यता हेतु सब 20 10000/- सीमा में प्रवेश संबंधित यातव्यता हेतु सब 20 450000/- सीमा में एवं सब 20 की सीमा यातव्यताओं में सीमा संबंधित यातव्यता हेतु सब 20 1200000 सीमा में सुलभ की सीमा संबंधित प्रदान के प्रदान किया जायेगा। उल्लेख के अतिरिक्त प्रवेश/संस्था में सुलभ के संबंध में संस्था-संस्था के संबंधित प्रदान निर्मित किये जाने वाले संस्था-संस्था प्रदान की है, जो अनुसंधान संबंधित किये जाने यातव्यता प्रदान। सीमा निर्धारण संबंधित प्रदान पर सब 2019-20 हेतु सीमा का सुविधा निर्मित किया जाता है, जो प्रवेश की सीमा संबंधित एवं अनुसंधान।
- ✓ संस्था जो 6667 प्राथमिक शिक्षा परिषद में सब 20 1000000 सम्बद्धता को सम्बद्ध किये जाने विद्यमान-2020 की शर्तों का अनुसंधान प्रदान होगा।



**कार्यालय,  
तकिया, प्रादेशिक शिक्षा परिषद,  
जयपुर प्रदेश राजस्थान।**

संख्या: प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

जयपुर, दिनांक: 14-8-2020

-साधारण पत्र-

प्रतिष्ठित भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद नई दिल्ली/राज्यीय अनुसंधान और प्रशिक्षण नई दिल्ली द्वारा सित्तक सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी भारतीय राजकीय शिक्षा संस्थानों को अनुसंधान प्रदान किए जाने के लिये प्रादेशिक शिक्षा परिषद, जयपुर जयपुर को सम्बद्धता/सम्बद्धता विवेक प्रदान किए जाने हेतु विगत 14-8-2020 को संख्या प्रादेशिक शिक्षा परिषद, जयपुर संलग्नक की संख्याएँ से परिषद कार्यलय में भेजा गया है। भेजा गये पत्रिका द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदन नई संख्याओं को सम्बद्धता/पूर्व से संशोधित संख्याओं को सम्बद्धता विचार/परामर्श/प्रवेश अर्थात् प्रवेश परीक्षा जमा पत्रों पर किया जाने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

अतः को अनुक्रम में सम्बद्धता पत्रिका की संख्या को 14-8-2 में विद्यार्थी इन इच्छित सम्बद्धता संशोधित करने वाली पूर्व से संख्या संख्याओं का प्रयोग नहीं करे। सम्बद्धता पत्रिका द्वारा प्रदान विचार-विचार एवं विवेक निर्णय लिया गया।

विद्यार्थी क्षेत्र में स्थापित विद्यार्थी इन इच्छित सम्बद्धता संशोधित करने वाली विद्यार्थी भारतीय राजकीय शिक्षा संस्थानों, को प्रादेशिक शिक्षा परिषद, जयपुर संलग्नक से पूर्व से सम्बद्ध ई. में एम्बार्डेन्सी/सीटीईई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता अनुसंधान विचार प्रदान किया गया है। इन संख्याओं में एम्बार्डेन्सी/सीटीईई द्वारा प्रदान किये गये अनुसंधान विचारों को अनुसंधान परीक्षा नाम के सम्बद्धता पत्रिका परामर्श/प्रवेश अर्थात् को जमा कर सत्र 2020-21 हेतु परिषद में सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय द्वारा विचार-विचार किया गया एवं एम्बार्डेन्सी/सीटीईई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुसंधान विचार को अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-8-2020 को जयपुर सम्बद्धता समिति की बैठक में दिव्य नई संख्याएँ विचार को अनुक्रम में किया गया है। प्रादेशिक शिक्षा परिषद, जयपुर संलग्नक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी भारतीय राजकीय शिक्षा संस्थान एवं प्रदान प्रादेशिक प्रवेश अर्थात् हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	सं. सं.	विवरण का नाम	परामर्श का नाम	एम्बार्डेन्सी/सीटीईई/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसंधान निर्णय लेना	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसंधान प्रवेश अर्थात्
1	100	प्रादेशिक शिक्षा परिषद, जयपुर संलग्नक, तकिया, जयपुर	विचार एवं, अधिष्ठाता प्रवेश	न अ	न अ

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संख्या एम्बार्डेन्सी/सीटीईई/प्री-एम्बार्डेन्सी द्वारा निर्णय की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संख्या द्वारा प्रवेश प्रादेशिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2020 तथा प्रादेशिक शिक्षा परिषद विद्यार्थी संख्या, संशोधित विद्यार्थी संख्या 2020 तथा प्रादेशिक विद्यार्थी एवं आवेदकों का अनुसंधान करेगी तथा सुलभ निर्धारण करेगी द्वारा निर्णय किया गया है। नवीन इच्छित अनुसंधान हेतु सं. सं. 10,100/07/- अर्थात् को प्रवेश अर्थात् परामर्श एवं प्रवेश अर्थात् प्रवेश परीक्षा जमा पत्रों पर किया जाने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया गया है। नवीन इच्छित अनुसंधान हेतु सं. सं. 10,100/07/- अर्थात् को प्रवेश अर्थात् परामर्श/प्रवेश अर्थात् को जमा किया जायेगा। एम्बार्डेन्सी को प्रादेशिक विचार/परामर्श से सुलभ में सम्बद्धता में प्रवेश अर्थात् परामर्श द्वारा निर्णय किये जाने वाले इच्छित प्रादेशिक प्रवेश अर्थात् को अनुसंधान विचार प्रदान किया जायेगा। अतः निर्धारण अर्थात् द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश को अनुसंधान विचार प्रदान है। नवीन को परामर्श एवं अनुसंधान।
- ✓ संख्या को (100) प्रादेशिक शिक्षा परिषदों तथा एवं निर्णयों अर्थात् को संख्या प्रदान किया जायेगा। (100) प्रादेशिक शिक्षा परिषदों को शर्तों का अनुसंधान प्रदान होगा।
- ✓ संख्या में प्रवेश द्वारा प्रवेश परिषद द्वारा निर्णय प्रदान की गयी शर्तें प्रवेश विचार/परामर्श; सीटीईई के विचार एवं प्रदान को निर्णय में प्रवेश प्रवेश अर्थात् को निर्णय/परामर्श से प्रवेश को अर्थात् की जाती है।





**संघोद्योग**

**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश संघसूचक**

संख्या- प्राविध/परिषद/संघसूचक/2021/3537

संघसूचक दिनांक: 09/08/2021

**आचार्य संघ**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परमैली काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक वर्ष 2021-22 हेतु विभिन्न राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघसूचक से संघसूचक विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में संघसूचक समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवेदनित संघसूचक को संघसूचक पूर्व से संघसूचक संस्थाओं को संघसूचक विस्तार: पाठ्यक्रम, प्रवेश अथवा वृद्धि सहित अन्य मही पर विचार करने हुए वर्ष 2021-22 हेतु संघसूचक संघसूचक विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

संघसूचक समिति की बैठक में निचे संघोद्योग के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघसूचक द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु संघसूचक विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का बौद्धिक पता : 3337-KALICHARAN NIGAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NARAINI ROAD, BANDA

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	60	60

संघसूचक हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एचए 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, कोऑर्डर किनिस्मावली-2018 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों में 00 पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों परमैली पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक-तमा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों परमैली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों में शुल्क के सम्बन्ध में संघ-समाज पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार

कार्यवाही किया जाया आवश्यक होगा। नीचे निर्देशन समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु नीचे का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो नीचे की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (UPPE) प्राथमिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता। विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को डी प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के रिक्त छू जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को अलग-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुन्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एअरपोर्ट/सीटी/ईओपी/सीटी/आई/ए से आगामी रूप हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताये गये विधि/निर्देश/अधिनियम/शासनादेश/निर्देशों एवं विटिबक, प्राथमिक शिक्षा, UPPE, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, UPPE तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, UPPE द्वारा बताये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन टाचिंग पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात दायर किया जाता है तथा दायर बात के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को कानी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन टाचिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश न्यायालय द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु क्वॉटिफिकेशन प्राप्त होने के पूर्व पीसीआई/ए से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कसौलीय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनै वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सत्र-सत्रता, उपकरण, शान्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कारण हेतु उपयुक्त सहायता उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो तो कि संस्था में परतवित्त/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अग्निज्य, भूमि-सफल, पानीघर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो नामान्तर संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरेय यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्यायसाता, उपकरण एवं अन्य सत्र-सत्रता एवं एअरपोर्ट/सीटी/ईओपी/सीटी/आई/ए परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं माना जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किया जाने की स्थिति में निष्काशन

संख्या

अनुशासनात्मक कार्रवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शर्मा)

हपिड

पृष्ठ सं- आसिप परिषद संख्या: 2021/3538-4809

दिनांक: 09/06/2021

आज्ञा

आज्ञा सं- निदेशक KALICHARAN NIGAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NARAINI ROAD, BANDA



(सुनील कुमार शर्मा)

हपिड